अन्तर अही० (भी प्रसाद)

उत्तराखण्ड शासन ऊर्जा अनुभाग-1 संख्या : २५७७/४०११-०४(८)-11८/२०१० देहरादून: दिनांक: | ७ फरवरी, २०११

many 24,211 for ACRC

<u>अधिसूचना</u>

राज्यपाल, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करते हैं कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ, अर्थात ग्राम पालीसैण, परगना—कीर्तिनगर, तहसील—देवप्रयाग, जिला टिहरी—गढ़वाल में नैशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि0 की कोटलीभेल जल विद्युत परियोजना (चरण—1 A) के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यकता है।

2— चूंकि, राज्यपाल की यह राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, जैसा कि उक्त भूमि की लोक प्रयोजनार्थ अर्थात ग्राम पालीसैंण, परगना—कीर्तिनगर, तहसील—देवप्रयाग, जिला टिहरी—गढ़वाल में नैशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि0 की कोटलीभेल जल विद्युत परियोजना (चरण—1 A) के निर्माण के लिये आवश्यकता है और इस अत्यावश्यकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 क के अधीन जाँच करने में लगने वाले सम्भावित विलम्ब को विवर्जित किया जाय। अतएव, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन अग्रेत्तर निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 क के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	(खसरा न0, क्षेत्र (है0 में)						
टिहरी गढवाल	देवप्रयाग	पालीसैण							
			(352/1, 0.200)	(429/1, 0.200)	(429/2, 0.200)				
कुल योग = 0.600 है 0									

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

जिला टिहरी गढ़वाल के पालीसैण, परगना—कीर्तिनगर, तहसील—देवप्रयाग, जिला टिहरी—गढ़वाल में नैशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि0 की कोटलीभेल जल विद्युत परियोजना (चरण—1 A) के निर्माण हेतु।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा (साईट प्लान) हितबद्ध व्यक्ति द्वारा कलेक्टर टिहरी गढवाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

> (डाo उमाकान्त पंवार) सचिव

टिप्पणी :--

257 संख्या: //(2)/2011-04(8)-118/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को एक अंग्रेजी प्रति के साथ उत्तराखण्ड के आगामी/असाधारण गजट भाग–4 खण्ड—'ख' में विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 10 मुद्रित प्रतियां जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल तथा 50 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 2 मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून / आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।

3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

- प्रबन्धक, नैशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि0, कोटलीभेल जल विद्युत परियोजना (चरण–1 A), टिहरी गढ़वाल।
- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, देहरादून।
- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 7. प्रभारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।

आज्ञा से,

D:Nimah\Land Acquisition\UO\Land Acquisition of Village-Palissin for construction of Kotlöbel HEP (Stage-1) (Sec. 4) doc

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 257 /1(2)/2011-04(8)-118/2010, Dated (7) February, 2011 for general information.

Government of Uttarakhand Energy Section-1 No.257/I(2)/2011-04(8)-118/2010 Dated: Dehradun: 1字 February, 2011

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act No. 1 of 1894), the Governor is pleased to notify for general information that he is satisfied that the land mentioned in the Schedule below is needed for a public purpose, namely, for construction of Kotlibhel Hydroelectric Project (Stage-1 A) through National Hydroelectric Power Corporation Ltd. in Village Palisain, Pargana-Kirtinagar, Tehsil-Devprayag, District Tehri Garhwal.

2- WHEREAS, the Governor is of the opinion that the provisions of sub-section (4) of section 17 of the said Act are applicable to the said land in as much as the said land is urgently required for construction of Kotlibhel Hydroelectric Project (Stage-1 A) through National Hydroelectric Power Corporation Ltd. in Village Palisain, Pargana-Kirtinagar, Tehsil-Devprayag, District Tehri Garhwal that in view of the pressing urgency it is necessary to eliminate the delay likely to be caused by an inquiry under section 5 A of the said Act. Therefore, the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5 A of the said Act shall not apply to the said land.

Schedule

District	Tehsil	Village	Areg (in Hec.) & Plot Nos.			
Tehri Garhwai	Devprayag	Palisain				
			(352/1, 0.200)	(429/1, 0.200)	(429/2, 0.200)	
			Total = 0.600 Hec.			

For what purpose required:

for construction of Kotlibhel Hydroelectric Project (Stage-1 A) through National Hydroelectric Power Corporation Ltd. in Village Palisain, Pargana-Kirtinagar, Tehsil-Devprayag,

District Tehri Garhwal.

Note:-

A site plan of land may be inspected by the interested person in the Office of the Collector, Tehri Garhwal.